न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या – 27/2020

प्रार्थी :–

1. रामपाल पुत्र राधाकिशन
   जाति–नाई, निवासी–खिंयाला, तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हड़मानराम पुत्र लादूराम
   जातियान–जाट, निवासी–अड़सींगा, तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिड़ीयासर प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
3. अप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 710 रकबा 1.0603 हैक्टेयर मौजा खिंयाला तहसील जायल में रहता चला आया है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 710 में ग्राम खिंयाला से सिलनवाद जाने वाली डामर सड़क से होते हुये खसरा नं. 712 की सींव पर से होता हुआ प्रवेश करता आया है तथा इसी एक मात्र रास्ते से प्रार्थी आज दिन तक गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने के काम लेता आया है। परन्तु दिनांक 17.08.2020 को उक्त रास्ता का अप्रार्थी हड़मान ने अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपने खेत में जाने आने हेतु व खेती कार्य करने में असुविधा हो रही है। प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीक कटाणी नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी के खसरा नं. 710 में कृषि कार्य हेतु प्रवेश तथा आवश्कय संसाधन लाने व

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

ले जाने बाबत् माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी अप्रार्थी के खसरा नं. 712 रकबा 3.1275 हैक्टेयर में से रास्ता स्वीकृत कर कटाणी घोषित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया, तथा अप्रार्थी संख्या 2 को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर तथा बावजूद सूचना के न्यायालय में स्वयं अथवा उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 05.01.2021 को पारित किये गये।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए मौके पर वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा संलग्न नक्शा नजरी के अनुसार उक्त रास्ता 15 फीट रास्ता की लम्बाई 34 गठ्ठा बताई। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 710 में जाने के लिए कटाणी रास्ता से कम दूरी का रास्ता बिन्दू संख्या ए से बी नजरी नक्शानुसार होना बताया जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत संख्या 712 की पूर्वी पर से उतर–दक्षिण तरफ है। साथ ही मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये वांछित रास्ता पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नहीं किया हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से खसरा नं. 712 में से 15 फीट के लिए लम्बाई 34 गठ्ठा है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ते के लिए 0.0313 हैक्टेयर भूमि उपयोग में आयेगी जिसकी वर्तमान में डी.एल.सी. दर राशि 26954 रू. प्रति बीघा है, जो कि मौका रिपोर्ट में प्रदर्शित नजरी नक्शा मुताबिक रास्ता मार्क ए से बी के अनुसार है।

प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जरिये सम्मन/नोटिस तलब किये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है, तथा अप्रार्थी संख्या 2 जो कि पत्रावली में भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की मंशानुसार हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है जो संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) संबंधित है तथा ऐसे प्रकरणों का नियमानुसार निर्धारित समयावधि 3 माह (90) में

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

निस्तारण किया जाना होता है, इसलिए वकील प्रार्थी के निवेदन पर हस्तगत प्रकरण को बहस अन्तिम हेतु नियत किया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 710 रकबा 1.0603 हैक्टेयर मौजा खिंयाला तहसील जायल में रहता चला आया है। प्रार्थी अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 710 में ग्राम खिंयाला से सिलनवाद जाने वाली डामर सड़क से होते हुये खसरा नं. 712 की सींव पर से होता हुआ प्रवेश करता आया है तथा इसी एक मात्र रास्ते से प्रार्थी आज दिन तक गाड़ी छकड़ा ट्रेक्टर ट्रोली आदि लाने ले जाने के काम लेता आया है। परन्तु दिनांक 17.08.2020 को उक्त रास्ता का अप्रार्थी हड़मान ने अवरूद्ध कर दिया है जिससे प्रार्थी को अपने खेत में जाने आने हेतु व खेती कार्य करने में असुविधा हो रही है। प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीक कटाणी नहीं है। इसलिए प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने, पशुधन को लाने व ले जाने तथा कृषि कार्य के लिए आवश्यक संसाधन हेतु अन्य कोई कटाणी रास्ता नहीं होने से तथा उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता के कारण प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251ए के तहत पेश किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खेत खसरा नं. 710 में से आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नं. 712 में से रास्ता माफिक नजरी नक्शा मार्क ए से बी के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत में प्रवेश हेतु तथा मवेशी लाने ले जाने तथा कृषि कार्य हेतु संसाधन लाने ले जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा रास्ते की आत्यान्तकि आवश्यकता होने है, रास्ता स्वीकृत किया जावे जावे तथा रास्ता उपलब्ध कराया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु सहमत है।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई तथा तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी के खेत खसरा नं. 710 में प्रवेश हेतु खसरा नं. 712 के समीप पूर्व–पश्चिमी तरफ पर सड़क ग्राम खिंयाला से सिलनवाद कटाणी रास्ता अंकित है तथा प्रार्थी के खेत खसरा नं. 710 के लिए निकटतम रास्ता मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा में अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 712 मार्क ए से बी लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता अपने खेत में आने जाने तथा पशुधन तथा कृषि प्रयोजनार्थ आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु उपभोग में लाना बताया है साथ ही उक्त रास्ते को कटाण घोषित किये जाने

04/02/2021

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

का निवेदन किया है। चूंकि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रकरण में प्रभावित खातेदार/पक्षकार है जिसे न्यायालय द्वारा जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया। जो कि अप्रार्थी हड़मानराम के पुत्र से तामील सुदा प्राप्त है साथ ही तहसीलदार जायल द्वारा दिनांक 30.09.2020 को तैयार मौका रिपोर्ट जो कि मौके पर ही बनाई गई है तत्समय भी अप्रार्थी उपस्थित नहीं आया है। इसलिए न्यायालय मत में यह स्पष्ट है अप्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र की जानकारी है। इसी प्रकार धारा 251क आर. टी.एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण केवल सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है। जिनका 3 माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है साथ ही यदि प्रभावित पक्षकार असहमती व्यक्त करता है या अनुपस्थित रहता है तो उसको रास्ते हेतु उपभोग में ली जाने वाली भूमि के बदले में डी.एल.सी. दर की दुगुनी प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 जो कि दिनांक 30.09.2020 को मौके पर ही उपस्थित पक्षकारान/आमजन के मध्य में तैयार की गई जिससे प्रार्थी को रास्ते हेतु आत्यान्तिक आवश्यकता तथा प्रस्तावित इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने को सम्पुष्ट करता है। साथ ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णनानुसार, दौराने बहस दी गई दलीलों व तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी प्रार्थी को खातेदारी खेत खसरा नं. 710 में आने जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता होना तथा अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नहीं होना प्रमाणित है। तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त रास्ते का ही उपभोग कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए करने से ग्राम खिंयाला तहसील जायल के खसरा नं. 712 में से ही रास्ता स्वीकृत किया जाना प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क आर.टी.एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

— : : आदेश : : —

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम खिंयाला तहसील जायल के खसरा नं. 712 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 के अनुसार लाल स्याही से डोटेट मार्क के अनुसार 0.0313 हैक्टेयर भूमि का रास्ता स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.10.2020 हस्तगत प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम खिंयाला तहसील जायल के खसरा नं. 712 में से रास्ते के

04/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रभावित खातेदार कृषक को प्रार्थी रामपाल से भूमि की वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) का नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे तथा माफिक आदेश बाद अपील मियाद के न्यायालय आदेश के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

04/07/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल